सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **96** राँची**,** सोमवार

5 माघ, 1937 (श०)

25 जनवरी, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2016

संख्या-एल0जी0-34/2015-12/लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक **19** जनवरी**, 2016** को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 03,2016)

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम**,** विस्तार एवं प्रारंभ -

(i) यह अधिनियम ''झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015'' कहा जायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की अध्याय-48 की धारा-615 (4), 615(6) का संशोधन:-

(i) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-615 की उपधारा-(4) को दिनांक 9 फरवरी, 2012 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है ।

(ii) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-615 की उपधारा-(6) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

अधिनियम की धारा 615 की उपधारा-(6) में वर्णित उपधारा-4 के संदर्भ को दिनांक 9 फरवरी, 2012 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है ।

(iii) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-615 की उपधारा-8 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाता है:-

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, जो खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के तहत् गठित है, पूर्व की भांति यथावत क्रियाशील रहेगा, मानो कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 615 आस्तित्व में आया ही न हो।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-455 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाता है:-

धारा-455, बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना ।

परन्तु ऐसा परिसर, जो झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के धारा-90 (क) के अधीन बाजार क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो अथवा किया जाए, वहाँ ऐसी वस्तुओं जिनके लिए झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन बाजार शुल्क प्रभार्य है, उनकी बिक्री अथवा हस्तांतरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 96—50 ।